न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी– श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

अपील संख्या– 82/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/184

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
रामनिवास पुत्र मगना राम जाति नायक निवासी लोरोली हाल निवासी मामडोली तहसील मकराना जिला डीडवाना–कुचामन।		तहसीलदार मकराना।

उपस्थितः–
1. श्री सिकन्दर खान वकील अपीलान्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण संख्या 01/2023 अनुवान रामनिवास बनाम रामकुमार में पारित दिनांक 03.03.2023 को तहसीलदार मकराना द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध

–:निर्णयः–

दिनांकः 19.11.2024

अपीलांट की ओर से पेश अपील के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है किः–

1. प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183B राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत तहसीलदार मकराना के समक्ष प्रस्तुत करके अनुतोष चाहा कि ग्राम लोरोली के खसरा संख्या 195/27 रकबा 0.0081 है0 किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा संख्या 196/27 रकबा 0.0567 है0 गैर मुमकिन सारण, खसरा संख्या 27 रकबा 6.5721 है0 किस्म चाहि कुल खसरे 3 रकबा 6.6369 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन का 1/4 हिस्सा स्थित हैं तथा 1/4 हिस्से खातेदारी दर्ज हैं और उक्त भूमि से अप्रार्थीगण रामकुमार सिंह इत्यादि से भूमि का अवैध कब्जा प्राप्त करवने बाबत् एवं उक्त भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल करने बाबत् दिनांक 06.02.2023 को प्रस्तुत किया गया था।
2. प्रार्थी/अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगावाई गयी एवं रिपोर्ट मंगवाकर अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में संलग्न की गयी।
3. प्रार्थी/ अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को बिना कोई नोटिस जारी किये एवं बिना किसी सुनवाई के अधिनस्थ न्यायालय ने अभिलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई गौर किये बिना मनमाने तरीके से मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मानते हुए गलत रूप से विधिविरूद्ध जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 03.03.2023 को पारित करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलार्थी निम्न आधारों पर आदेश दिनांक 03.03.2023 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत है।

तहसीलदार मकराना द्वारा उक्त आदेश व निर्णय दिनांक 03.03.2023 पूर्णतया विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरित है तथा तहसीलदार मकराना का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है जिसे निम्न आधार हैः–

1. अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अप्रार्थीगण को तलब किये बिना, बिना किसी सुनवाई के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो तहसीलदार मकराना आदेश दिनांक 03.03.2023 गैर कानूनी है विधि विरूद्ध है।
2. तहसीलदार मकराना ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हल्का पटवारी की रिपोर्ट तलब की रिपोर्ट में मात्र यह लिख देना कि उपरोक्त खसरा से सम्बन्धित पक्षकारों के मध्य उपखण्ड अधिकारी मकराना में वाद संख्या 26/2011 विचाराधीन जिसको आधार मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है।
3. अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित करते समय प्रार्थी को कोई सुनवाई का मौका नहीं दिया और अपने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया इसलिए भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
4. अधिनस्थ न्यायालय ने अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 में मात्र उपखण्ड अधिकारी मकराना के समक्ष व राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन को आधार मानते हुए उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्राप्त अनुतोष इस क्षेत्राधिकार, स्वर्णाधिकार का नहीं हाने एवं अपर कोर्ट में विचाराधीन होने इस स्तर पर कोई कार्यवाही की जाने अपेक्षित नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को निरस्त करने में कानूनी भूल कारित की हैं जबकि उपखण्ड अधिकारी मकराना व राजस्व अपील अधिकारी मकराना के समक्ष उनसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार का वाद प्रस्तुत कर रखा हैं जो विचाराधीन है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया अनुतोष का निर्णय पक्षकारों को सुनवाई करके किये जाना था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से गलत आधार अंकित करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गलत खारिज किया हैं इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.03.2023 को अपास्त किये जाना योग्य व अपील स्वीकार किये जाने योग्य हैं।
5. प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है प्रार्थी की [illegible] पर [illegible] जाति के लोगों ने अपने धन बल पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और अवैध रूप से किये हुए कब्जे को हटाने का प्रार्थी को विधिक अधिकार धारा 183 B राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्राप्त है अधिनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

न्यायालय ने मात्र आनन–फानन में विधि विरूद्ध जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है जबकि अधिनस्त न्यायालय को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गुनाव–गुण पर सुनवाई करके निर्णित किये जाने जरूरी था लेकिन प्रार्थी कि प्रार्थना पत्र को गलत आधार पर निरस्त करने में कानूनी भूल कारित की है।

4. उपरोक्त वर्णित आधारो के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय दिनांक 03.03.2023 अपीलार्थी के हितों के विपरित होने के कारण आदेश अवैध है जो अपास्त किये जाने योग्य है इसलिए यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

5. अधिनस्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित जाकर पारित किया जो आदेश अधिनस्थ न्यायालय का अपास्त किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थी को युक्त आदेश के जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 24.03.2023 को हुई तब प्रार्थी ने नकल का आवेदन देकर दिनांक 27.03.2023 को निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करके उक्त अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

अतः श्रीमान के समक्ष अपीलार्थी की और से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार करके अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मकराना के आदेश दिनांक 03.03.2023 प्रकरण संख्या 01/2023 अनुवान रामनिवास बनाम रामकुमार इत्यादि में पारित आदेश को अपास्त करावे जो न्याय संगत होगा।

अपील दर्ज कर प्रत्यर्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी तहसीलदार मकराना का मूल रिकॉर्ड प्राप्त हुआ।

वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में आवेदक अन्य व्यक्तियों के साथ सह खातेदार है तथा सह खातेदार के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। सह खातेदार होने से प्रत्येक सह खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। प्रकरण में सह खातेदारों के मध्य एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना में विचाराधीन है। इसी आधार पर तहसीलदार मकराना ने आवेदित प्रार्थना पत्र निरस्त किया है। तहसीलदार के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अतः प्रस्तुत अपील आधारहीन व सारहीन होने के कारण खारीज की जाती है।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक **19.11.2024** को सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
(... IAS)
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:41:18 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन